

कार्यालय नगर पंचायत खरखौदा (मेरठ)

सं०- 131 न०पं० नि० 110 /2010-2011

दि० 30/6/2010

टेन्डर नोटिस

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्न कार्य के लिये सीलबन्द टेन्डर दिनांक 16/7/10 तक दिन के 11 बजे तक नगर पंचायत खरखौदा (मेरठ) के पंजीकृत ठेकेदार से आमंत्रित किये जाते हैं जो दिनांक 16/7/10 को कार्यालय अपर जिलाधिकारी वित्त मेरठ में दिन के 1 से 2 बजे के बीच खोले जायेगे। कार्य राज्य वित्त आयोग/अवस्थापना विकास निधि के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से कराये जायेगे।

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	जमानत की राशि	टेन्डर फार्म की फीस	कार्य अवधि
1.	एक दुकान का निर्माण मन्ढैया मार्ग वार्ड सं 6 खरखौदा।	94400.00	9450.00	100	1माह
2.	निर्माण कार्य नाली एवं सडक इन्टरलाकिंग टाइल्स सी०सी० वार्ड सं०6। मटरू से नरेश एवं सुन्दर से मन्तक। अनु० जा०	211800.00	21200.00	200	2माह
3.	निर्माण सी०सी० इन्टरलाकिंग टाइल्स सडक व नाली वार्ड सं०7 में सामुदायिक भवन से सत्यपाल तक।	849000.00	85000.00	500	3माह
4.	निर्माण सी०सी० इन्टरलाकिंग टाइल्स सडक व नाली वार्ड सं०7 में रामनिवास के मकान से दीपक के मकान तक। अनु० जा०	648300.00	64800.00	500	3माह
5.	निर्माण सी०सी० इन्टरलाकिंग टाइल्स सडक व नाली वार्ड सं 4 में पी०डब्लू०डी० रोड से सुशील के मकान तक (कव्वा सहाय)।	745600.00	74500.00	500	3माह
6.	निर्माण सी०सी० इन्टरलाकिंग टाइल्स सडक व नाली वार्ड सं 5 में दयानन्द से सलीम तक। अनु० जा०	96300.00	9600.00	100	1माह
7.	निर्माण नाला वार्ड सं० 8 में मंगेश त्यागी के मकान से फार्म हाउस रोड तक।	259100.00	25900.00	200	2माह

नोट:-

1. ठेकेदार को टेन्डर देते समय 2 प्रतिशत जमानत राशि नकद/एफ०डी०आर० के रूप में अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत के पास में जमा करनी होगी नियत अवधि के बाद किये जाने वाले कार्य के 25 रूपये प्रतिदिन तावान के रूप में बिल से काट लिये जायेगे।
2. ठेकेदार को अपने कय किये गये निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध कराना होगा तथा एक शपथ पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर स्टाम्प ड्यूटी के विषय में देना होगा जिसका प्रारूप नगर पंचायत कार्यालय में उपलब्ध है।
3. ठेकेदार को शासनादेश के अनुरूप चरित्र प्रमाण पत्र हैसियत प्रमाण पत्र आदि टेन्डर फार्म कय करते समय देना होगा। ठेकेदार टेन्डर देते समय शासन के आदेशो को अवश्य पढ ले जो टेन्डर जारी करने वाले के पास

उपलब्ध है। टेन्डर फार्म कार्यालय नगर पंचायत / प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय / जिलाधिकारी मेरठ के कार्यालय में विक्रय हेतु उपलब्ध है जो उक्त स्थानों पर रखे बाक्स में डाले जायेगे।

4. अधोहस्ताक्षरी द्वारा सशर्त टेन्डर स्वीकार नहीं किये जायेगे। किसी भी टेन्डर को बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है टेन्डर से सम्बन्धित नियम आदि की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में नगर पंचायत खरखौदा के कार्यालय में आकर देखी जा सकती है। कार्य सं० २, ५, ६ अनुसूचित जाति/जनजाति के ठेकेदारों के लिये आरक्षित है।

अधिशारी अधिकारी

अध्यक्ष

नगर पंचायत खरखौदा (मेरठ)

प्रतिलिपि:-

1. अपर जिलाधिकारी (प्र०) मेरठ को एन०आई०सी० में प्रकाशन हेतु एवं अवलोकनार्थ।
2. अपर जिलाधिकारी (वित्त) मेरठ को सूचनार्थ
3. नाजिर, सदर, मेरठ
4. समस्त नगर पालिका/नगर पंचायत, जिला, मेरठ
5. दैनिक हि-कुश्न मेरठ / दैनिक प्रभात को इस आशय से प्रेषित कि कृप्या इसे कम से कम स्थान में छापकर बिल इस निकाय को प्रस्तुत करने का कष्ट करे।
6. नोटिस बोर्ड नगर पंचायत खरखौदा

अधिशारी अधिकारी

अध्यक्ष

नगर पंचायत खरखौदा(मेरठ)

DIO.  
NIC Memt-

for info. Pl.

01/7/2010

दि 5-7.10 व्य  
5/7/10